

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :-द्वितीय वर्ष 2018-19 में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन/पुनर्विनियोग द्वारा प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि ₹0 3559.55 लाख (पैंतीस करोड़ उनसठ लाख पचपन हजार ₹0) मात्र के स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने के उद्देश्य से एक विशेष स्व-रोजगार सृजन योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसका क्रियान्वयन कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सृजित करना है ताकि रोजगार वृद्धि दर को बढ़ाने में इनका सहयोग प्राप्त किया जा सके।

1. परिचय :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा स्व-रोजगार हेतु बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेट्रॉल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण संबंधित प्रक्षेत्र के लाभुकों का ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹0 5.00 (पाँच) लाख ब्याज मुक्त ऋण तथा 50 प्रतिशत अधिकतम ₹0 5.00 (पाँच) लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सक्षिन्डी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई ₹0 25,000/- (पचीस हजार रुपये) की दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।

2. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी :-

- बिहार के निवासी हो।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत हो।
- कम-से-कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
- 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के हों।
- इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt.Ltd.Company के तहत निबंधित हो।

3. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जो निम्नवत हैं :-

i.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	-	अध्यक्ष
ii.	निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय	-	सदस्य-सह-सचिव
iii.	उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	-	सदस्य
iv.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना	-	सदस्य
v.	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
vi.	उप उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी, उद्योग विभाग	-	सदस्य
vii.	चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	-	सदस्य
viii.	विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	-	सदस्य
ix.	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना	-	सदस्य
x.	अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना	-	सदस्य

4. इस योजनान्तर्गत लाभुकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन बिहार स्टार्ट अप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी।
5. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का लाभ देय होगा।
6. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की विमुक्ति तीन चरणों में की जायेगी। प्रथम किस्त का भुगतान परियोजना स्वीकृति के उपरान्त 25 प्रतिशत अधिकतम रु० 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) किया जायेगा। उद्यमी द्वारा भूमि की व्यवस्था तथा शेष का निर्माण के उपरांत द्वितीय किस्त परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 5.00 (पाँच) लाख विमुक्त किया जायेगा। उद्यमी द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना एवं प्रथम तथा द्वितीय किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत शेष अनुदान के रूप में 25 प्रतिशत राशि अधिकतम रु० 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) का भुगतान किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2018-19 अन्तर्गत पूर्व में लोक वित्त समिति/मंत्रिपरिषद के सहमति के पश्चात राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत इस योजना हेतु प्रोत्साहन राशि रु० 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) की विमुक्ति की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-922 दिनांक-06.06.2018 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त रुपये 3959.55 लाख की स्वीकृति प्रस्तावित है।
8. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु० 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। प्रथम किस्त परियोजना स्वीकृति के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त देय होगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50.50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रु० 25,000/- के दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
9. प्रस्तावित राशि का व्यय (I) मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड-23-2852807890101, विषय शीर्ष-0101.27.01 लघु कार्य मद एवं मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0105-प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852807890105, विषय शीर्ष-0105.33.01 सॉक्सिडी मद एवं
(II) मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0123-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड-23-2852807960123, विषय शीर्ष-0123.27.01 लघु कार्य मद में एवं मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष- 0122-प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852807960122, विषय शीर्ष-0122.33.01 सॉक्सिडी मद में तृतीय अनुपूरक आगणन/पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित राशि से विकलित होगा।
10. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन/पुनर्विनियोग द्वारा प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि रु० 3559.55 लाख (पैंतीस करोड़ उनसठ लाख पचपन हजार रु०) मात्र के स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक-

सं०स०- 4तक०/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/०4/ 2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह०/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक-

सं०स०- 4तक०/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/०4/ 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(ले० एवं हक०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक-

सं०स०- 4तक०/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/०4/ 2018

प्रतिलिपि:- सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक-

सं०स०- 4तक०/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/०4/ 2018

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम०एस०एम०ई०डी०आई०, माटलीपुत्रा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक-

सं०स०- 4तक०/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/०4/ 2018

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक-

सं०स०- 4तक०/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/०4/ 2018

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

शापांक:- 974 /पटना, दिनांक- 08.03.19

सं0सं0- 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

08/03/19

(1)